पत्र संख्या–वि0व0संग्रह / 2020–21 / 257 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 11 सितम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया की अध्यक्षता में आयोजित डेस्कटॉप कान्सफ्रेंसिंग दिनांकित 08.09.2020 के कम में कतिपय जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा ब्याज माफी योजना–2020 के संबंध में स्वीकृत कर को योजना में समाविष्ट करने या न करने की पृच्छा की गयी है।

2– योजना में स्पष्ट है कि योजना बकायेदारों के संबंध में है, चाहे व्यापारी पर मूलधन बकाया हो या ब्याज बकाया हो, वह बकायेदार की श्रेणी में आता है, अतः ऐसे व्यापारियों पर ब्याज माफी योजना लागू होगी।

3– विभिन्न माननीय न्यायालयों में लम्बित मामलों के संदर्भ में योजना में उल्लेख नहीं है, किन्तु स्वतः स्पष्ट है कि व्यापारी माननीय न्यायालय से अपने मामलों को वापस लेगा, अथवा माननीय न्यायालय से मामला वापस लेने का लिखित आश्वासन देगा, तभी वह योजना में शामिल हो सकेगा।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के दृष्टिगत योजना के व्यापकता को देखते हुए मुख्यालय से पूर्व में जारी परिपत्र संख्या–1581 / 1920091, दिनांक 28 फरवरी 2020 में योजना के सफल कियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु दी गयी कार्य योजना / कार्य वितरण के अनुरुप प्रयास किया जाना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
O/C

पृष्ठांकित / तद् दिनांक–

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / कारपोरेट) वाणिज्य कर को संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु।

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
O/C